

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला-रायसेन (म0प्र0)

रायसेन, दिनांक -- 28.03.2019

- :: विज्ञप्ति :: -

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के एकल समूह का ई-टेंडर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) द्वारा निष्पादन, वर्ष 2019-20

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि रायसेन जिले में वर्ष 2019-20 अर्थात् 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 125 भोपाल, शनिवार, दिनांक 16 मार्च 2019 में प्रकाशित शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन तथा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7-ठेका/2018-19/101 दिनांक 11.03.2019, पत्र क्रमांक 7-ठेका/2018-19/300 कैम्प भोपाल दिनांक 22.03.2019 एवं पत्र क्रमांक 7-ठेका/2019-20/203 दिनांक 28.03.2019 के परिपेक्ष्य में जिले की नवीनीकरण आवेदन पत्रों/ई-टेंडर प्रथम एवं द्वितीय राउण्ड से शेष 02 देशी मदिरा एवं 01 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूह खरगोन का ई-टेंडर तृतीय राउण्ड से निष्पादन निम्नानुसार तिथि में जिला समिति द्वारा कलेक्टर, रायसेन में किया जावेगा :-

क्र.	मदिरा दुकान/एकल समूह का क्रमांक व नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के नाम	वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (कॉलम नं. 4 का 5 प्रतिशत)	ई-टेंडर प्रपत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (कॉलम नं. 4 का 2 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1	खरगोन RSN/F-13	वि0म0दु खरगोन	25007252	1250363	500145
		दे0म0दु खरगोन	18429041	921452	368581
		दे0म0दु0 नूरनगर	5991707	299585	119834
		योग समूह	49428000	2471400	988560

ई-टेंडर तृतीय राउण्ड के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम :-

1.	ई-टेंडर (क्लोज बिड) हेतु ऑन-लाइन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई-टेंडर ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय	दिनांक 29 मार्च 2019 को प्रातः 09:00 बजे से 30 मार्च 2019 अपरान्ह 03:00 बजे तक।
2.	ई-टेंडर (क्लोज बिड) हेतु ऑन-लाइन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 30 मार्च 2019 अपरान्ह 03:00 बजे से।
3.	ई-टेंडर (ऑक्शन) प्रारम्भ एवं बंद होने की तिथि एवं समय	दिनांक 30 मार्च 2019 को सायंकाल 06.30 बजे से दिनांक 31.03.2019 प्रातः 11:00 बजे तक (तत्पश्चात 15 मिनट के अंतराल में बोली दिये जाने पर आगामी 15 मिनट के लिये समयावधि में वृद्धि)
4.	जिला समिति द्वारा ई-टेंडर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	कार्यवाही पूर्ण होने पर।




(निरन्तर2....)

वर्ष 2019-20 के लिये निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूह की जानकारी तथा उनका आरक्षित मूल्य, ई-टेण्डर प्रपत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि आदि की जानकारी, निष्पादन की कार्यवाही, नियमों, विक्रय ज्ञापन, देशी एवं विदेशी मदिरा की खपत (सेल पेपर) एवं ड्यूटी की दर, तथा देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की विगत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के 09 माह की खपत आदि की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय रायसेन से उल्लेखित समयावधि में किसी भी दिन (अवकाश के दिन सहित) कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी।

टीप :-


- 1- ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) तिथियों में प्रक्रिया में परिवर्तन का अधिकार आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश को रहेगा।
- 2- रायसेन जिले की मदिरा दुकानों के संबंध में विज्ञप्ति, सेल पेपर आदि जानकारी वेबसाईट (www.raisen.nic.in) से भी डाउनलोड की जा सकती है।
(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)


जिला आबकारी अधिकारी,
वास्ते-कलेक्टर, जिला-रायसेन

पृ.क्र./ढेका/2019-20/ 815
प्रतिलिपि:-

रायसेन, दिनांक 28.03.2019

1. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर आबकारी आयुक्त, राज्यस्तरीय उडनदस्ता, भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, जन संपर्क बाणगंगा भोपाल की ओर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन की ओर सूचनार्थ।
6. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
7. उप संचालक, जनसंपर्क विभाग, रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं विज्ञप्ति का दैनिक समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रेषित।
8. सहायक आयुक्त, आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी जिला-म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ।
10. सहायक जिला आबकारी अधिकारी, मण्डल आबकारी उप निरीक्षक, वृत/भाण्डागार जिला-रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
11. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी (NIC) रायसेन की ओर जिले की बेवसाईट पर विज्ञप्ति/सेलपेपर अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।



जिला आबकारी अधिकारी,
वास्ते-कलेक्टर, जिला-रायसेन

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला- रायसेन (म0प्र0)

वर्ष 2019-20 के लिये नवीनीकरण/लॉटरी/ई-टैण्डर प्रथम एवं द्वितीय चरण द्वारा निष्पादन से शेष मदिरा दुकानों के एकल समूह का तृतीय चरण ई-टैण्डर हेतु सेल पेपर

प्राकृप कर्मांक - नौ

क्र.	मदिरा दुकान/एकल समूह का व मांक व नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकान का वर्गीकरण (देशी/विदेशी मदिरा)	लायसेंस का वर्गीकरण (ऑन/ऑफ)	वर्ष 2019-20 के लिए निश्चित आयकित मूल्य	धरोहर राशि (कॉलम नं. 6 का 5 प्रतिशत)	ई-टैण्डर के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (कॉलम नं. 6 का 2 प्रतिशत)	मदिरा दुकान का स्थान (Location) (राजसूची नगर निगम अथवा अन्य नगर निगम/ नगरपालिका अथवा नगर पंचायत/ग्रामीण क्षेत्र)	वर्ष 2018-19 के प्राथमिक 9 माह की खपत		
									देशी मदिरा (यूक लीटर)	विदेशी मदिरा (रिचट) (यूक लीटर)	विदेशी मदिरा शीयर (बल्क लीटर)
1	खरणोन	वि0म0दु खरणोन	विदेशी मदिरा	ऑफ	25007252	1250363	500145	ग्रामीण क्षेत्र	0	25630	18938
		दे0म0दु0 खरणोन	देशी मदिरा	ऑन	18429041	921452	368581	ग्रामीण क्षेत्र	36158	0	0
		दे0म0दु0 नूरनगर	देशी मदिरा	ऑन	5991707	299585	119834	ग्रामीण क्षेत्र	13000	0	0
		योग समूह			49428000	2471400	988560		49158	25630	18938


 जिला आबकारी अधिकारी
 जिला-रायसेन (म.प्र.)